न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 56/16 निर्णय दिनांकः– 16-11-17

1. भिराई पत्नी पीरण खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 7 एएम शेरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. रखु खॉ पुत्र बच्चु खॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–04–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 27–04–2017 जिसके द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में एकतरफा तौर पर पारित स्माल पेच आवंटन दिनांक 08–06–2012 यथावत रखा गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय)नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

(बी) विवादित आराजी के लधु पट्टी के आवंटन की कार्यवाही राजकीय हित व लाभ को दृष्टिगत् रखते हुए सभी समीपस्थ काश्तकारों को नोटिस देकर खुली बोली में नीलामी में आवंटन किया जाना सुनिश्चत करावें।

(सी) निर्णय की एक प्रति आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर व जिला कलेक्टर, बीकानेर को प्रेषित की जावे कि वे संबंधित पटवारी के विरूद्व जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 16-11-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर